कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परिक्षेत्र
निर्माण भवन, द्वितीय तल प्लाट नं0 27–28 अरेरा हिल्स भोपाल
E-mail: cepwdbridge@mp.nic.in Ph.2777146 Fax-2779649

क्रमांक जी/कॉन–421/जें./2013 भोपाल दिनांक

आदेश

––0––

मेसर्स बाबागनी नाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जमुना कालरी, जिला अनूपपुर को अनूपपुर जिले के ब्राम्हानी गिरबा मार्ग में कि.मी. 3/2 में कठना नदी पर पुल निर्माण (यूनिक आई डी क्र. –ई.सी.ओ.7892) कार्य का (अनुबंध क्रमांक 11 वर्ष 2012–13) कार्यादेश क्र–1891 दिनांक 13–6–2013 को जारी किया गया था। अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 14 माह **वर्षा** काल छोड़कर अर्थात् 13–4–15 थी। कार्य की प्रगति अनुबंधानुसार नहीं होने के कारण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा ने पत्र क्रमांक 2615 दिनांक 25–11–2016 के द्वारा ठेकेदार को शोकाज नोटिस जारी किया गया।

अतः विभाग द्वारा दी गई समयावधि में कार्य पूर्ण नही करने की प्रवृति से जनहित का कार्य प्रभावित हुआ एवं शासन की छवि धूमिल हुई एवं पुल का लाभ जनता को नही मिला। मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र.–17–1/2010/19/बी/243 भोपाल दिनांक 24–3–2015 की कांडिका–6 के तहत वर्णित प्रावधानो के तहत **मेसर्स बाबागनी नाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जमुना कालरी, जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश) का पंजीयन एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।**

इस आदेश के पश्चात् ठेकेदार मेसर्स **बाबागनी नाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जमुना कालरी,** जिला **अनूपपुर (मध्यप्रदेश)** नये निविदा प्रपत्र क्रय करने के लिये प्रतिबंधित रहेगे। साथ ही यदि पूर्व में निविदा प्रपत्र क्रय कर लिये गये तो निविदा इस आदेश के पश्चात् वह निविदा के लिये अपात्र रहेगें। इनके द्वारा पूर्व में क्रय की गई निविदा इस आदेश के पश्चात् यदि स्वीकृत की जाती है, तो विधि शून्य होगी। यदि अनुबंधकर्त्ता या उसकी फर्म का कोई भी सदस्य अन्य फर्म में भागीदार होगा तो वह फर्म भी नई निविदा प्रक्रिया में भाग लेने निविदा प्रपत्र क्रय करने तथा नया अनुबंध करने के लिये एवं नया पंजीयन करवाने के लिये इस आदेश के पश्चात् पात्र नही होगें।

मुख्य अभियंता
लो0नि0वि0 सेतु निर्माण परिक्षेत्र
भोपाल

पृ0क्र0 6037/जी/कॉन–421/जें./2013 भोपाल दिनांक 8/12/16

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषिपत है।

2 निज सचिव, माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

3 सचिव, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

4 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन भोपाल को सूचनार्थ।

5 समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग इंदौर/ग्वालियर/रीवा/उज्जैन/जबलपुर/राष्ट्रीय राज्यमार्ग परिक्षेत्र/राजधानी परिक्षेत्र भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

6 श्री पी. कुमार सहायक प्रोग्रामर कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग।

7 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण मंडल भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर को सूचनार्थ।

8 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ सिवनी/रीवा/ग्वालियर/होशंगाबाद/सागर को सूचनार्थ।

9 मेसर्स **मेसर्स बाबागनी नाथ कंस्ट्रेक्शन कंपनी, जमुना कालरी, जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश)** की ओर भेज कर लेख है कि इस संबंध में आपको अपना पक्ष/अपील करना हो तो पत्र जारी होने के 90 दिवस के अंदर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल को प्रस्तुत कर सकते है।

मुख्य अभियंता
लो0नि0वि0 सेतु निर्माण परिक्षेत्र
भोपाल

Sri P. Kumar A.P.